भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2911

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

2911 श्री पुष्पेंद्र सरोजः

श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के आरम्भ होने से अब तक इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित रूफटॉप सौर इकाइयों की वर्ष-वार संख्या क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की जिला-वार तथा वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मीटरिंग अनुमोदन में देरी, डिस्कॉम, सूचीबद्ध विक्रेताओं की कमी जैसी प्रमुख चिह्नित चुनौतियाँ क्या हैं तथा योजना के क्रियान्वयन की गति पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों द्वारा दायर की गई सब्सिडी दावों की जिला-वार तथा वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(ङ.) उत्तर प्रदेश में वितरित की गई सब्सिडी दावों की संख्या जिला-वार तथा वर्ष-वार क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) तथा (ख): उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के अंतर्गत रूफटॉप सौर की स्थापना से कुल 1,82,250 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

यह योजना मांग आधारित है, जिसमें अजा/अजजा/अपिव उपभोक्ता सहित देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों का जिला-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, पीएमएसजी-एमबीवाई के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ गहन समन्वय से कार्य करते हैं ताकि चुनौतियां होने पर उनकी की पहचान जा सके और पीएमएसजी: एमबीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। इस संबंध में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर रेपो दर प्लस 50 बीपीएस यानी वर्तमान में 6% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की सरल प्रक्रिया सुनिश्चित की गई ताकि पर्याप्त एवं योग्य वेंडर उपलब्ध हों।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- शिकायतों का समाधान समय पर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

(घ) एवं (ङ): पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने वाले परिवार, संबंधित डिस्कॉम द्वारा स्थापना का निरीक्षण और अनुमोदन हो जाने के बाद सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर, सब्सिडी के संवितरण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,65,158 लाभार्थियों ने सब्सिडी के लिए दावे किये हैं और 1,54,978 लाभार्थियों को सब्सिडी संवितरित की गई है। जिले-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

'उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2911 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमएसजीः एमबीवाई के अन्तर्गत रूफटॉप सौर स्थापनाओं से लाभान्वित परिवारों की संख्या का जिला-वार तथा वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	**जिलों**	**13.02.2024 से 31.12.2024 तक**	**01.01.2025 से 31.07.2025 तक**
		लाभान्वित घरों की संख्या	**लाभान्वित घरों की संख्या**
1	आगरा	2,493	4688
2	अलीगढ़	630	1667
3	अंबेडकर नगर	270	1029
4	अमेठी	188	829
5	अमरोहा	83	251
6	औरैया	102	544
7	अयोध्या	503	1203
8	आजमगढ़	383	776
9	बागपत	138	349
10	बहराइच	362	704
11	बलिया	142	323
12	बलरामपुर	90	245
13	बाँदा	373	588
14	बाराबंकी	1,055	2975
15	बरेली	1,459	5720
16	बस्ती	180	452
17	भदोही	55	226
18	बिजनौर	551	1281
19	बदायूं	74	399
20	बुलंदशहर	299	811
21	चंदौली	237	592
22	चित्रकूट	105	259
23	देवरिया	133	555
24	एटा	212	436
25	इटावा	688	1252
26	फर्रुखाबाद	347	944
27	फतेहपुर	262	685

28	फिरोजाबाद	381	1202
29	गौतम बुद्ध नगर	750	844
30	गाजियाबाद	1,467	1900
31	गाजीपुर	397	752
32	गोंडा	221	521
33	गोरखपुर	1,231	2370
34	हमीरपुर	176	550
35	हापुड़	230	668
36	हरदोई	318	1256
37	हाथरस	179	499
38	जालौन	261	777
39	जौनपुर	421	482
40	झांसी	1,543	2945
41	कन्नौज	130	416
42	कानपुर देहात	72	163
43	कानपुर नगर	4,177	7232
44	कासगंज	77	358
45	कौशाम्बी	20	472
46	खेरी	490	1569
47	कुशीनगर	37	220
48	ललितपुर	507	1151
49	लखनऊ	18,107	22934
50	महोबा	155	334
51	महाराजगंज	143	408
52	मैनपुरी	293	631
53	मथुरा	484	1234
54	मऊ	106	417
55	मेरठ	1,448	2387
56	मिर्जापुर	400	1152
57	मुरादाबाद	434	1151
58	मुजफ्फरनगर	892	2786
59	पीलीभीत	146	1383
60	प्रतापगढ़	117	634
61	प्रयागराज	2,546	3381
62	रायबरेली	1,280	3390
63	रामपुर	203	1284
64	सहारनपुर	605	1610

65	संभल	60	513
66	संत कबीर नगर	56	159
67	शाहजहांपुर	291	1665
68	शामली	227	721
69	श्रावस्ती	37	199
70	सिद्धार्थनगर	100	362
71	सीतापुर	862	2400
72	सोनभद्र	128	583
73	सुल्तानपुर	319	813
74	उन्नाव	681	1946
75	वाराणसी	6,886	10138
	कुल	**61,505**	**1,20,745**

*****